न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 152/2008
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2008/00009

वादीगण

मृतक लच्छीया उर्फ लच्छीयो पुत्र राणाराम के कायम मुकाम :–

1.पारसमल पुत्र शंकरलाल पुत्र लच्छीराम

2.सिरेमल पुत्र शंकरलाल पुत्र लच्छीराम

3.राजू पुत्र शंकरलाल पुत्र लच्छीराम

4.सुआदेवी बेवा शंकरलाल पुत्र लच्छीराम जाति माली

निवासी वार्ड नम्बर 3 बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम **प्रतिवादीगण**

मृतक नारायणराम के कायम मुकाम :–

1/1. मृतक धनराज पुत्र नारायणराम के कायम मुकाम :–

1/1/1. पुखराज पुत्र स्व. धनराज
1/1/2. गौतमचन्द पुत्र स्व. धनराज
1/1/3. नेमाराम पुत्र स्व. धनराज
1/1/4 पोनी देवी बेवा स्व. धनराज
निवासी वार्ड नंम्बर 3 बालोतरा
1/1/5. मीरोदेवी पुत्री स्व. धनराज
पत्नी मंगलाराम जाति माली
निवासी पुराना पादरू बस स्टेण्ड
के पास बालोतरा
1/1/6. शारदादेवी पुत्री स्व. धनराज
पत्नी माणकचंद निवासी माली
समाज भवन के पास बालोतरा
1/1/7 सरसीदेवी पुत्री स्व. धनराज
पत्नी रामाराम निवासी वार्ड
नंम्बर'3 मालियों की वास बालोतरा
1/2. देवाराम पुत्र नारायणराम
1/3. उदाराम पुत्र नारायणराम
1/4. मृतक हस्तीमल के कायम
मुकामः–
1/4/1. श्रीमति लीलादेवी बेवा हस्तीमल
1/4/2. बादरमल पुत्र स्व. हस्तीमल
1/4/3. गोपाराम पुत्र स्व. हस्तीमल
1/4/4. सुरेश पुत्र स्व. हस्तीमल
1/4/5. सोहन पुत्र स्व. हस्तीमल
1/4/6. अशोक पुत्र स्व. हस्तीमल
1/4/7. श्रवण पुत्र स्व. हस्तीमल
1/4/8. दिनेश पुत्र स्व. हस्तीमल
1/4/9. स्वाती पुत्री स्व. हस्तीमल पत्नी
जितेन्द
1/4/[illegible] [illegible]देवी पुत्री स्व. हस्तीमल [illegible]
पत्नी मांगीलाल [illegible] माली
1/5. घेवरराम पुत्र नारायणराम
1/6. ओमाराम पुत्र नारायणराम
1/7. कमलादेवी बेवा नारायणराम
2.मृतक नरसिंगराम पुत्र राणाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कायम मुकामः–

2/1. माणकचंद पुत्र स्व. नरसिंगराम

2/2. भगाराम पुत्र स्व. नरसिंगराम

2/3. मेवाराम पुत्र स्व. नरसिंगराम

2/4. लुणीदेवी पुत्री स्व. नरसिंगराम के कायम मुकामः–

2/4 (1).पुरखाराम पुत्र केसाजी माली निवासी बालोतरा(मृतका के पति)

2/4 (2).पारस पुत्र पुरखाराम जाति माली नि.बालोतरा (मृतका का पुत्र)

2/4 (3).महेन्द्र पुत्र पुरखाराम नि.बालोतरा (मृतका का पुत्र)

2/4(4).अशोक पुत्र पुरखाराम नि.बालोतरा (मृतका का पुत्र)

2/4(5).लीला पुत्री पुरखाराम,नि. बालोतरा (मृतका की पुत्र)

2/5. ससीदेवी पुत्री स्व. नरसिंगराम पत्नी प्रेमजी जाति माली

3.मृतक सोनाराम उर्फ चुनाराम पुत्र राणाराम के कायम मुकाम :–

3/1. मोहनलाल पुत्र स्व. चुनाराम

3/2.केवलचंद पुत्र स्व. चुनाराम

3/3. छगनलाल पुत्र स्व. चुनाराम

3/4.ओमप्रकाश पुत्र स्व. चुनाराम

3/5. हीरोदेवी बेंवा चुनाराम

3/6. मांगा पुत्र चुनाराम जाति माली

4.रूकमणीदेवी पत्नी प्रतापजी जाति प्रजापत

5.अंजुदेवी पत्नी अशोक कुमार जाति अग्रवाल

6.गौतमचंद पुत्र जगदीश जाति सोनी निवासी वार्ड नंम्बर 3 बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

7.राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता,वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता,प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान की ओर से उपस्थित।
3. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 03/1 से 3/[illegible] प्रतिवादी संख्या 05 एवं 06 की ओर से उपस्थित।
4. श्री रतनलान चौधरी अधिवक्ता,प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से उपस्थित।
5. प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान एकपक्षीय।
6. प्रतिवादी संख्या 07 अनुपस्थित।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक 13.10.2023

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि खालसा गांव बालोतरा तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में वादीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व.लच्छीराम उर्फ लच्छीया के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत पुराने खसरा संख्या 369 रकबा 59 बीघा 09 विस्वा (1 बीघा=132 X 132 फीट) अवस्थित थी। खालसा गांव बालोतरा का द्वितीय भू प्रबंध संवत 2024 (मुताबिक ईस्वी सन् 1967) में प्रवृतन में आया.द्वितीय भू–प्रबंध की नई जरीब (नाप 01 बीघा=165 X 165 फीट) के अनुसार पुराने खसरा संख्या 369 रकबा 59 बीघा 09 विस्वा के माफिक निम्न भू–प्रबंध पूर्वा खतौनी नये.समरूपी.खसरा संख्या 705 रकबा 10 बीघा 15 विस्वा.खसरा संख्या 706 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा.खसरा संख्या 710 रकबा 06 बीघा 10 विस्वा कुल रकबा 35 बीघा 15 विस्वा कायम हुए। मुतवफी राणाजी के जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 01 नारायणराम वर्ष सन 1940 में राणाजी के 5–6 पिढियों में से दूर गोत्री भाई स्व. फूसाजी के गोद चला गया.जिसके परिणाम स्व. राणाजी के वंश परिवार हट गया इस प्रकार स्व. राणाजी के परिवार में नारायणराम का कोई हित हक शेष नहीं रहा। वादग्रस्त कृषि भूमि आरम्भ से ही स्व. राणाजी के कब्जा काश्त की रही एवं थी। स्व. राणाजी के वर्ष 1941 में देहान्त के समय उनके दो छोटे पुत्रान नरसीग एवं स्व. चुनाराम नाबालिग थे। इसलिए बापी पट्टा दिनांक 08.04.1943 में प्रतिवादी संख्या 01 ने उनके नामो की जगह वादीगण के हक–पूर्वाधिकारी स्व. लच्छीया उर्फ लसीया के नाम के साथ अपना नाम भी अवैध दर्ज करवा दिया। खालसा गांव बालोतरा का द्वितीय भू–प्रबंध संवत 2024 (वर्ष 1967) में प्रवृतन में आया.उस समय प्रतिवादी संख्या 1 जो न्याति का प्रमुख प्रभावशाली पंच था.ने वादीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व.लच्छाजी उर्फ लसीया का नाम अवैध हटवा दिया. एवं अपने नाम के साथ राणाजी के दो छोटे पुत्रो नरसिंह एवं चूनाराम के नाम दर्ज करा दिया। जिसका कोई क्षैत्राधिकार भू प्रबंध विभाग को नहीं था। इस प्रकार वादीगण द्वारा ग्राम बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 705.706 व 710 कुल रकबा 35–15 बीघा भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा का टीनेन्ट सहखातेदार घोषित होने व प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें हेतु वाद पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया.प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री चेलाराम कुमावत की ओर से प्रतिवादी संख्या 01 नारायणराम की तरफ से वकालतनामा पेश किया.प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जरीये अधिवक्ता वादीगण के वाद–पत्र को अस्वीकार करते हुए जबावदावा व काउन्टर क्लेम पेश किया गया.जिसका वादीगण की ओर से जरीये अधिवक्ता काउन्टर क्लेम का खण्डन करते हुए जबाबुल जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से जरीये अधिवक्ता वादीगण के वाद–पत्र के तथ्यों को स्वीकार करतें हुए इकबालीया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से जरीये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 से 7 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

3.वादीगण के दावा पत्र व प्रतिवादी के जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई। तनकी संख्या 1 आया वादीगण दावापत्र के पद संख्या 16(अ) के अनुसार खातेदार घोषित करवाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे–वादीगण

तनकी संख्या 2 आया वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे–वादीगण

तनकी संख्या 3 आया प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे–प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4–सहायता।

4.वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाहान में PW-01 पारसमल, PW-02 पुंजाराम, PW-03 भैराराम के लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किए गए। प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से उक्त गवाहान से जिरह की गई। वादीगण की ओर से दस्तावजी साक्ष्य में EX-01. ग्राम बालोतरा प्रथम पटवार हो.बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की जमाबंदी संवत् 2062 से 2065 तक,EX-02.ग्राम कस्बा बालोतरा परगना पचपदरा रियासत जोधपुर श्री दरबार राज.मारवाड़ तारीख 08.4.1943 प्रति, EX-03.ग्राम बालोतरा प्रथम की जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 तक,EX-04.ग्राम बालोतरा प्रथम की खतौनी जमाबंदी संवत 2029 से 2048 तक,EX-05.ग्राम बालोतरा प्रथम की खसरा बंदोबस्त (भू प्रबन्ध) संवत 2024–2025 तक व EX-06. ग्राम बालोतरा प्रथम की खसरा बंदोबस्त (भू प्रबन्ध) संवत 2024–2025 तक प्रदर्शित करवाई गए।

5.प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW-01 देवाराम, DW-02 खेवरचंद, DW-03 उकाराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किए गए। जिनमें से DW-01 देवाराम वक्त जिरह उपस्थित नहीं हुआ था और शेष प्रतिवादी गवाहान से वकील वादीगण द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी की ओर से दस्तावजी साक्ष्य में EX-A1.जमाबंदी संवत् 2029–2048 की प्रमाणित प्रति, EX- A2. जमाबंदी संवत् 2022–2025 प्रमाणित प्रति, EX- A3. खसरा बंदोबस्त की प्रमाणित प्रति, EX- A4. जमाबंदी संवत् 2030–2033 की प्रमाणित प्रति, EX- A5. खतौनी संवत 2046–2049 की प्रमाणित प्रति, EX- A6. गिरदावरी संवत 2000 की प्रमाणित प्रति, EX- A7. गिरदावरी संवत 2004 से 2006 की प्रमाणित प्रति, EX- A8.गिरदावरी संवत 2010 से 2013 की प्रमाणित प्रति, EX- A9. गिरदावरी संवत 2014 से 2017 की प्रमाणित प्रति, EX- A10. गिरदावरी संवत 2018 से 2019 की प्रमाणित प्रति, EX- A11. गिरदावरी संवत 2020 से 2021 की प्रमाणित प्रति. EX- A12. गिरदावरी संवत 2022 से 2025 की प्रमाणित प्रति,EX- A13. गिरदावरी संवत 2026 से 2029 की प्रमाणित प्रति, EX- A14. गिरदावरी संवत 2030 से 2033 की प्रमाणित प्रति, EX- A15. गिरदावरी संवत 2034 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2037 की प्रमाणित प्रति, EX- A16. गिरदावरी संवत 2038 से 2041 की प्रमाणित प्रति, EX- A17. गिरदावरी संवत 2042 से 2045 की प्रमाणित प्रति, EX- A18. गिरदावरी संवत 2046 से 2049 तक की प्रमाणित प्रति, EX- A19. गिरदावरी संवत 2050 से 2053 तक की प्रमाणित प्रति, EX- A20. गिरदावरी संवत 2054 से 2057 तक की प्रमाणित प्रति, EX- A21. पर्चा खतौनी संवत 2024 से 2025 तक की प्रमाणित प्रति, EX- A22. खसरा परिशोधन पत्र की प्रमाणित प्रति, EX- A23. जमांबदी संवत 2026 से 2029 की प्रमाणित प्रति, EX- A24. जमाबंदी संवत 2062 की प्रमाणित प्रति, EX- A25. जोधपुर रियासत का पटटा तारीख 08.4.1943 की प्रमाणित प्रति, EX- A 26. बिधोड़ी रसीद की प्रमाणित प्रति, EX- A27 से EX- A 30 लगान की रसीद प्रदर्शित करवाई गई।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वक्त बहस वकील वादीगण नें अपनी मौखिक बहस में निवेदन किया कि खालसा गांव बालोतरा तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में वादीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व.लच्छीराम उर्फ लच्छीया के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत पुराने खसरा संख्या 369 रकबा 59 बीघा 09 विस्वा (1 बीघा=132′ X 132′ फीट) अवस्थित थी। खालसा गांव बालोतरा का द्वितीय भू प्रबंध संवत 2024 (मुताबिक ईस्वी सन् 1967) में प्रवृतन में आया,द्वितीय भू–प्रबंध की नई जरीव (नाप 01 बीघा=165′ X 165′ फीट) के अनुसार पुराने खसरा संख्या 369 रकबा 59 बीघा 09 विस्वा के माफिक निम्न भू–प्रबंध पूर्वा खतौनी नये,समरूपी,खसरा संख्या 705 रकबा 10 बीघा 15 विस्वा,खसरा संख्या 706 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा,खसरा संख्या 710 रकबा 06 बीघा 10 विस्वा कुल रकबा 35 बीघा 15 विस्वा कायम हुए। वादग्रस्त भूमि के मूल खसरा संख्या 369 रकबा 59–09 बीधा वादीगण के वालिद लच्छीराम उर्फ लच्छीया व नारायण पुत्र फूसाराम की संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज थी,जो जोधपुर रियासत द्वारा जारी बापी पटट्ा दिनांक 08.4.1943 का अवलोकन से स्पष्ट है,जो तदोपरांत राजस्व रेकर्ड में संवत 2026 से 2029 तक यथावत प्रविष्टि रही। वादग्रस्त भूमि जो खालसा गांव बालोतरा का द्वितीय भू–प्रबंध संवत 2024 (वर्ष 1967) में प्रवर्तन में आया,उस समय प्रतिवादी संख्या 1 जो ख्याति का प्रमुख प्रभावशाली पंच था,ने वादीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व.लच्छाजी उर्फ लसीया का नाम अवैध हटवा दिया,एवं वादीगण के वालिद लच्छीराम उर्फ लच्छीया के स्थान पर राणाजी के दो छोटे पुत्रो नरसिंह एवं चूनाराम के नाम दर्ज करवा दिए,जिसका कोई क्षैत्राधिकार भू प्रबंध विभाग को नहीं था। जबकि वादीगण के वालिद लच्छीराम उर्फ लच्छीया का नाम गलत तरीके से हटाया गया है,क्योकि बापी पटट्ा दिनांक 08.4.1943 से संवत 2026 से 2029 तक वादीगण के वालिद लच्छीराम उर्फ लच्छीया का नाम राजस्व रेकर्ड में [illegible] भू प्रबंध के दौरान वादीगण के वालिद लच्छीराम उर्फ लच्छीया का गलत तरीके से न[illegible] हटाया [illegible]कर उनके स्थान पर नरसिंह व चूनाराम के नाम की प्रविष्टि इन्द्रा[illegible] की गई,जो कि [illegible] से प्रविष्टि इन्द्राज की गई है और ऐसी प्रविष्टि करने का भू प्रबंध विभाग को कोई क्षेत्र[illegible]कार नहीं था। क्योकि भू प्रबंध का उतरदायित्व बनता था,कि रेकर्ड में पूर्व की स्थिति को रिपीट करना था,लेकिन भू प्रबंध विभाग के तत्कालीन अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादीगण के वालिद लच्छीराम उर्फ लच्छीया के स्थान पर नरसिंह व चूनाराम के नाम इन्द्राज कर दिए गए,जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गलत प्रविष्टि इन्द्राज की गई है। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए निवेदन किया कि वादीगण के वलिद लच्छीराम उर्फ लच्छीया का वादग्रस्त भूमि बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त था,तत्पश्चात उनके वारिसान का लगातार निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 नारायणराम फूसाराम को गोद चला गया था। वादग्रस्त भूमि को लच्छीराम उर्फ लच्छीया द्वारा बेचान नहीं किया गया था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य गवाहान इत्यादि के अवलोकन से भी साबित होता है,कि वादीगण के वलिद लच्छीराम उर्फ लच्छीया के नाम की प्रविष्टि अवैध रूप से विलोपित की गई है तथा प्रतिवादी द्वारा भी यह स्वीकार किया है कि वादीगण के वलिद की प्रविष्टि गलत तरीके से हटाई गई है। अत: में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर बापी पट्टा जोधपुर रियासत द्वारा जारी दिनांक 08.4.1943 की स्थिति को बहाल किया जाकर वादीगण की खातेदारी घोषित की जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे,कि वादीगण के कब्जा काश्त भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2001(1) पेज 586–587,आर.आर.टी.2003(1) पेज 31,आर.आर.टी.2018(1) पेज 584,आर.आर.टी.2002(2) पेज 814,आर.आर.टी.2003(2) पेज 1027 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए।

7.प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खालसा गांव बालासर तहसील पचपदरा की सीमा में पुराने खसरा नम्बर 369 रकबा 59 बीघा 09 बिस्वा भूमि का खेत वादीगण के हक पूर्वाधिकारी दादा स्वर्गीय लच्छीराम उर्फ लच्छीया के खातेदारी कब्जा काश्त की नहीं थी,बल्कि इस खेत की भूमि में नारणा बेटा फूसा (प्रतिवादी नम्बर 1) व लच्छीया बेटा राणा कौम माली के निस्फ हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा नारणा पुत्र फूसा (प्रतिवादी नम्बर 1) का व 1/2 हिस्सा लच्छीया पुत्र राणा कौम माली का था,इसी अनुसार बापी पट्टा रियासत जोधपुर दरबार राज मारवाड़ से जारी हुआ था। नारायण के गोद पुत्र पिता फूसाजी,राणाजी के 5–6 पिढ़ीयों में दूर गौत्री भाई न होकर राणाजी के सगे चाचा थे। यह तथ्य गलत है कि प्रतिवादी नम्बर (1) राणाजी के जीवनकाल में फूसाजी के गोद चला गया हो। अपितु प्रतिवादी नम्बर (1) के गोद चले जाने से साल भर पूर्व ही राणाजी का स्वर्गवास हो गया था। वादग्रस्त भूमि पर प्रारम्भ से ही राणाजी का कब्जा काश्त होने का तथ्य गलत है। वादग्रस्त भूमि कभी भी राणाजी की कब्जा काश्त की नहीं रहीं तथा न ही उनका कब्जा काश्त रहा तथा न वादग्रस्त भूमि कभी भी स्वर्गीय राणाजी के खातेदारी में दर्ज की गयी न उन्होनें कभी भी भूमिधारी को लगान ही अदा किया। जबकि वादग्रस्त भूमि पर के 1/2 हिस्से पर नारायण पुत्र फूसाजी (प्रतिवादी नम्बर 1) व 1/2 हिस्से पर लच्छीया पुत्र राणाजी के कब्जा काश्त [illegible] बापी पट्टा जारी किया गया। यह बात गलत है कि बापी [illegible] (1) ने उनके नाम की जगह वादीगण के हक पूर्वाधिकारी [illegible] के साथ अपना नाम भी अवैध दर्ज करवा दिया हो। बल्कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर [illegible] व चुन्नीलाल के दादे भाई लच्छीया का कब्जा काश्त होने से एवं उनके कब्जा काश्त के अनुसार वैधानिक तरीके से राज मारवाड़ के द्वारा बापी पट्टा जारी किया व सन 1955 में राज्य सरकार ने उसी अनुरूप में [illegible] जारी किया। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर (1) का 1/2 हिस्सा खातेदारी का राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मारवाड़ के समय से आदिनांक दर्ज होता रहा है। खालसा गांव बालोतरा में संवत 2024 में द्वितीय भू प्रबन्ध लागू हुआ उस समय प्रतिवादी नम्बर (1) न्याति का प्रमुख प्रभावशाली पंच होने व इस कारण से वादीगण के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय लच्छाजी का नाम अवैध ढंग से हटवा देने एवं अपने नाम के साथ राणाजी के दो छोटे पुत्रो नरसींग एवं चूनाराम का नाम दर्ज करवा देने का तथ्य गलत है। बल्कि सही तथ्य यह है कि पुराने खसरा नम्बर 369 रकबा 59 बीघा 09 विस्वा भूमि के तीन नये खसरा नम्बर 705 रकबा 10 बीघा 15 विस्वा,खसरा नम्बर 706 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा तथा खसरा नम्बर 710 रकबा 06 बीघा 10 विस्वा बने व मौके पर भी भूमि की खसरा अनुसार अलग अलग किया गया। उस समय प्रतिवादी नम्बर (1) नारायण,लच्छीया,चुन्नीलाल,एवं नरसिंग ने आपस में तय कर खसरा नम्बर 706 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा भूमि प्रतिवादी नम्बर (1) के कब्जे में दी गई तथा लच्छीया स्वंय ने खसरा नम्बर 705 रकबा 10 बीघा 15 विस्वा भूमि को अपने छोटे भाई चुन्नीलाल को एवं खसरा नम्बर 710 रकबा 06 बीघा 10 विस्वा भूमि को अपने छोटे भाई नरसिंग के नाम दर्ज करवाई। मौके पर सभी इसी अनुसार अलग अलग काबिज हुए तथा खाता का शामिल ही रखा गया,जिसका इन्द्राज भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा परिशोधन पत्र में दर्ज है। तत्पश्चात इसी अनुसार भूमि का जबानी बंटवाड़ा किया जिसका खुलासा काउण्टर क्लेम में दर्ज है। लच्छीया के स्थान पर नरसिंग एवं चुन्नीलाल के नाम दर्ज करवाने में प्रतिवादी नम्बर (1) की कोई भूमिका नहीं रही। लच्छीया के स्थान पर चुन्नीलाल एवं नरसिंग के नाम दर्ज होने से सम्बन्धित यदि कोई विवाद है,तो भी यह विवाद लच्छीया के 1/2 भूमि से ही सम्बन्धित है, यह विवाद किसी भी प्रकार से प्रतिवादी नम्बर (1) की भूमि से सम्बन्धित नहीं है। बल्कि राज मारवाड़ के समय से भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर (1) नारायण पुत्र फुसाजी व 1/2 हिस्से पर लच्छीया पुत्र राणाजी के नाम उनके कब्जे काश्त के अनुसार बापी पट्टा जारी हुआ व ताबाद इसी अनुरूप में खातेदारी में नाम होते रहे है तथा अपने अपने हिस्से को लगान दोनो ही सह खातेदार भूमिधारक को अदा करतें थे। कि राज मारवाड़ ने प्रतिवादी नम्बर (1) व लच्छीया का कब्जा काश्त देख के दिनांक 08.04.1943 को नारायण पुत्र फूसा 1/2 हिस्सा तथा लच्छीया पुत्र राणा 1/2 हिस्सा का बापी पट्टा जारी किया। भूमि पर प्रतिवादी नम्बर (1) अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से का लगान भूमिधारक को अदा करता आ रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए निवेदन किया कि वादीगण के वालिद लछीया का नाम संवत 2026 से 2029 तक इन्द्राज रहा बाद में लछीया का के नाम की प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उनके भाई नरसींग व चूनाराम का नाम इन्द्राज किया गया,वादीगण का विवाद प्रतिवादी नरसिंग व चूनाराम से है। प्रतिवादी संख्या 01 की 1/2 हिस्सा भूमि निर्विवाद है। अतः प्रतिवादी [illegible] की तरफ से पेश काउण्टर क्लेम दावा बंटवाड़ा का स्वीकार किया जाकर [illegible] भूमि [illegible] नाप डाइमेंशन किया जाकर पूर्व में हुए जबानी बंटवाड़ा के अनुसार खेत खसरा नम्बर 706 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा प्रतिवादी नम्बर (1) के हिस्से में रखा जाकर प्रतिवादी नम्बर (1)के खातेदारी का घोषित की जाकर वादग्रस्त खसरा नम्बर 706 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 705 रकबा 10 बीघा 15 विस्वा एवं खसरा नम्बर 710 रकबा 06 बीघा 10 विस्वा कुल रकबा 35 बीघा 15 विस्वा भूमि में प्रतिवादी नम्बर (1) के हिस्से की 1/2 भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कायमशुदा किया जावे। प्रतिवादी नम्बर (1) के पक्ष में एव वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे एवं निषेधित व निवारित किया जावे कि वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण प्रतिवादी नम्बर (1) के कब्जा काश्त की भूमि में स्वंय या अन्य प्रतिवादीगण नम्बर (1) के कब्जा काश्त की भूमि मे स्वंय या अन्य किसी के माध्यम से किसी प्रकार का दखल, हस्तक्षेप बाधा या आवरोध कारित नहीं करे तथा न ही ऐसी भूमि का कोई हस्तानन्तरण ही करे। अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2012(1) पेज 444,आर.आर.टी.2006(1) पेज 545 व आर.आर.टी.2000(2) पेज 936 के न्यायिक द्रष्टांत पेश किए गए।

8.प्रतिवादी संख्या 03/1 से 3/6 वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी बताते हुए अपना 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित करवानें व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का पेश किया गया। वादपत्र में स्वीकार किया कि मुतवफी राणाराम के दोनो पुत्रो नरसिंह व चुनाराम के हकीकी नामो एवं हिस्से राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बाबत हम वादीगण को कोई एतराज/आपति नहीं है और प्रतिवादी नरसिंग व चूनाराम के विरूद्व कोई इस्तदुआ नहीं चाही जाने पर प्रतिवादी नरसिंग व चूनाराम की तरफ से इकबाली जवाब पेश किया गया था। वकील वादीगण द्वारा मौखिक बहस में प्रतिवादी नरसिंग व चूनाराम के विरूद्व इस्तदुआ चाही गई है जो कि मूल वादपत्र मे चाही गई इस्तदुआ के विपरीत है। वादीगण वाद–पत्र में चाही गई इस्तदुआ से बाहर अभिवचन नहीं कर सकतें है और नं ही इस्तदुआ के विपरीत वादीगण को राहत प्रदान की जा सकती है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावें।

9.वकील प्रतिवादी संख्या 04 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार नरसिंग के हिस्से में से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा जरीये पंजीबद्व विक्रय पत्र के क्रय की गई है और वक्त खरीद से आदिनांक प्रतिवादी संख्या 04 का कब्जा काश्त आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 04 सदभावी क्रेता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा यथावत रखतें हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

10.हमनें दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात,बयानात एवं न्यायिक द्रष्टांतों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में कायम तनकीयात के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

<u>तनकी संख्या 01</u>–आया वादीगण वादपत्र के पद संख्या 16 (अ) के अनुसार खातेदार टिनेन्ट घोषित करवानें के अधिकारीगण है ?

जिम्मे–वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर है,वादी पक्ष की ओर से [illegible] साक्ष्य [illegible] डब्ल्यू 01 से 03 गवाहान पेश किए और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 से 06 प्रदर्शित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से वादपत्र में मुख्य इस्तदुआ चाही गई कि वादग्रस्त भूमि मुतवफी राणाजी के कब्जा काश्त की होने व रहने प्रतिवादी संख्या 01 का राणाजी के जीवनकाल में स्व. फूसाजी के गोद चले जाने,प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपना नाम पटटा में गलत दर्ज करा देने,तदोपरान्त द्वितिय भू अभिलेख (वर्ष 1967) के समय भू प्रबंध कर्मचारीयो के सहायता से स्व.

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राणाजी के पुत्र व वादीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व.लच्छीया उर्फ लसीया का नाम अनाधिकृत एवं बिना क्षेत्राधिकार के हटवा दिया गया,जो कि अवैध रूप से हटाया गया है। जबकि वादीगण के वालिद लच्छीया उर्फ लसीया का वादग्रस्त भूमि में हक हकूक निहित होने के कारण वादग्रस्त भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जावें तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी सख्या 01 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

वकील वादीगण की ओर से अपनी मौखिक बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के वालिद लच्छीया उर्फ लसीया व नाराण बेटा फूसाजी की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी जो बापी पटटा जोधपुर रिसायत द्वारा दिनांक 08.4.1943 को जारी किया गया था,तत्पश्चात लच्छीया उर्फ लसीया का रेकर्ड में संवत 2026 से 2029 तक नाम यथावत रहा। द्वितिय भू प्रबंध के समय तत्कालीन अधिकारीयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जातें हुए लच्छीया उर्फ लसीया नाम की प्रविष्टि विलोपित करते हुए उनके स्थान पर प्रतिवादी नरसिंग व चूनाराम नाम इन्द्राज किए गए,जो कि अवैध इन्द्राज किया गया था। क्योंकि भू प्रबंध विभाग के अधिकारीयों को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज प्रविष्टि को रिपीट करने का अधिकार था,न कि रेकर्ड में फेरबदल करने का। इस कारण द्वितिय भू प्रबंध के दौराने की गई अवैध प्रविष्टि नरसिंग व चूनाराम की विलोपित करते हुए बापी पटटा दिनांक 08.4.1943 की रेकर्ड स्थिति को बहाल किया जावें।

हमारें सामनें दो बिन्दु उभर कर आये कि क्या न्यायालय वादीगण की वादपत्र में चाही गई इस्तदुआ के अलावा मौखिक बहस में किए गए कथनो एवं दस्तावेजात के आधार पर वादीगण को राहत प्रदान कर सकता है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 का अवलोकन किया,जिसमें उद्वेरित है कि–ऐसा कोई अनुतोष अनुदत करना जिसका **वादी हकदार है**:–किसी भी वाद अथवा कार्यवाही में न्यायालय,वादी के आवेदन पत्र पर और आवश्यक विवादयक विरचित करने के पश्चात,ऐसा कोई अनुतोष अनुदत कर सकता है,जिसे अनुदान करने में न्यायालय सक्षम है और जिसका वादी हकदार प्रतीत हो,चाहें ऐसा अनुतोष वादपत्र या आवेदन में मांगा गया हो या नहीं।

धारा का उद्वेश्यः–अनुतोष अनुदत करना–शीघ्र राहत देने के लिए विशेष उपबंध–अभिधृति अधिनियम एक विशेष विधि है,जिसमें धारा 209 एक विशेष उपबंध है,जो स्पष्ट रूप से यह प्रबंधित करता है कि–अभिधृति अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में वादी के आवेदन पर न्यायालय आवश्यक वाद प्रश्न बनाकार कोई भी ऐसा अनुतोष/राहत दे सकता है,जिसके लिए वादी हकदार हो और न्यायालय उसके देने के लिए सक्षम हो। यह उपबंध सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से एक स्पष्ट विदाई है,जो पक्षकारों की शीध्र और पर्याप्त अनुतोष देने के लिए आशयित है। विधायिका का पूर्ण उद्देश्य लम्बी मुकदमेबाजी की कठिनाइयों से अभिधारियों/कृषकों की रक्षा करना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 7 में प्रतिपादित है कि **अनुतोष का विनिदिष्ट रूप से कथन**–हर वादपत्र में उस अनुतोष का विनिदिष्ट रूप से कथन होगा जिसके लिए वादी सामान्यतः या अनुकल्पतः दावा करता है और यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए,जो न्यायालय न्यायसंगत समझे जो सर्वदा ही उसी विस्तार

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ऐसा किया जा सकेगा मानो वह मांगा गया हो,और यही नियम प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में दावा किए गए किसी अनुतोष को भी लागू होगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि राजस्व न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार है,कि वादीगण की ओर से चाही गई इस्तदुआ के अलावा दस्तावेजात साक्ष्य सबूतों के आधार पर वादी ऐसा सहायता पाने का हकदार हो,तो दी जा सकती है अर्थात न्यायालय इस बिन्दुओं पर विचार करने के लिए सक्षम में है। वादीगण की ओर से वादपत्र व प्रतिवादी के जवाबदावों के अवलोकन से यह भलीं भांति स्पष्ट है कि मुतवफी राणाराम के वारिसान वादीगण के वालिद लच्छीराम,प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान वालिद नारायणराम,नरसिंग व चुन्नीलाल है। वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाहान पी.डब्लू–1 से 03 के बयानात से कहीं साबित नहीं हो पाया कि वादग्रस्त भूमि मुतवफी राणाजी के वक्त सेन्टलमेंट पूर्व अथवा पश्चात कब्जा काश्त की रही हों तथा वादीगण की ओर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे साबित होता हो,कि वादग्रस्त भूमि राणाजी की पुश्तैनी खातेदारी की थी। ऐसी सूरत मे वादीगण 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड प्रदर्श–02 वादग्रस्त भूमि ग्राम कस्बा बालोतरा परगना पचपदरा रियासत जोधपुर श्री दरबार राज.मारवाड द्वारा जारी बापी पटटा दिनांक 08.4.1943 में नारणा बेटा फूसा,लछीयों बेटा राणा खातेदारी इन्द्राज है। प्रदर्श–3 वादग्रस्त भूमि ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा की जमाबंदी संवत 2026 से 2029 तक नारायण पुत्र फुवा,लछीया पुत्र राणा कौम माली सा.देह खातेदार इन्द्राज है। प्रदर्श–4 ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 359 से नये बने खसरा संख्या 705,706 व 710 कुल रकबा 35–15 बीधा खतौनी जमाबंदी संवत 2029 से 2048 तक नारायण पुत्र फुवाराम 1/2,चूनाराम पुत्र नरसिंगराम पि.राणाराम 1/2 कौम माली सा.देह खातेदार इन्द्राज हो रखा हैं,जो कि द्वितिय भू प्रबंध विभाग की ओर से रि–सेन्टलमेंट के दौराने लछीया पुत्र राणा के स्थान पर उसके भाई नरसिंगराम व चूनाराम का नाम इन्द्राज किया गया। इस प्रकार लछीया का नाम अवैध रूप से विलोपित किया गया। क्योंकि बापी पटटा दिनांक 08.4.1943 से जमाबंदी सवंत 2026 से 2029 तक वादग्रस्त भूमि में नारायण बेटा फूसा,लछीया पुत्र राणा की संयुक्त खातेदारी इन्द्राज होता आया है। इस प्रकार यह भली भांति साबित होता है,कि द्वितिय भू प्रबंध के तत्कालीन अधिकारीयों द्वारा अपने अधिकारी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रेकर्ड में फेरबदल किया था,जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था। क्योंकि द्वितिय भू प्रबंध विभाग के अधिकारीयों को गत सेटलमेंट के रेकर्ड को रिपीट करने का अधिकार था,न कि रेकर्ड फेरबदल करना का,इस प्रकार यह तो स्पष्ट है,कि वादीगण के वालिद लच्छीया उर्फ लसीया का वादग्रस्त भूमि में अवैध तरीके से नाम विलोपित किया गया है,जो कि सरासर गलत प्रक्रिया को अपनाया गया था [illegible] लच्छीया उर्फ लसीया के वारिसान वादीगण वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त [illegible] के [illegible] है। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख व पक्षकारान के बयानात,जिरह इत्यादि [illegible] कहीं साबित नहीं हो पाया है,कि प्रतिवादी नरसिंगराम व चूनाराम का राजस्व रेकर्ड में इन्[illegible] विधिक प्रक्रिया के तहत हुआ हों। त्रुटिपूर्वक हो रखे इन्द्राज से उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नरसिंग व चूनाराम का द्वितिय भू प्रबंध के दौरान गलत तरीके से नाम इन्द्राज किया गया है,जो की विलोपित योग्य है। राजस्व अभिलेख में गलत तरीकें

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

को इन्द्राज प्रासंगिक होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। प्रतिवादी नरसिंगराम व चूनाराम के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि मे उनको खातेदारी अधिकार इस आधार पर प्राप्त हुए है। जबकि पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेजात के अवलोकन से यह भली भांति साबित है कि बापी पट्टा दिनांक 08.4.1943 से संवत 2026 से 2029 तक वादग्रस्त भूमि की खातेदारी नारायण बेटा फुसा व लछीया पुत्र राणा की संयुक्त खातेदारी मे इन्द्राज थी और द्वितिय भू प्रबंध के दौरान त्रुटिवश लछीया के स्थान पर नरसिंग व चुनाराम का नाम इन्द्राज कर दिया गया,जो कि अवैध रूप से इन्द्राज किया गया था,जिसके प्रतिवादी नरसिंग व चूनाराम हकदार भी नहीं थे। इस प्रकार नरसिंग व चूनाराम का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक हकूक निहित नहीं होने के उपरांत भी नरसिंगराम द्वारा कुछ भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 04 से 6 को किया गया,जो कि अपने आप मे उक्त बेचान शून्य एवं अप्रभावी की श्रेणी मे आता है,क्योंकि उक्त प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक हकूक निहित नहीं होने के उपरांत भी बोकस बेचान किए गए है,जो कि कानून की श्रेणी मे शून्य एव अप्रभावी है। ऐसे विक्रय-पत्र को शून्य एवं अप्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है,जो कि 2018(1) R.R.T. पृष्ठ 624 मे उद्धरित है। जबकि मिस्दावरी संवत 2000-2003 से 2050-2053 तक मे नारायण पुत्र फूसा 1/2 हिस्सा की मिस्दावरी का अंकन हो रखा है तथा बापी पट्टा दिनांक 08.4.1943 से आदिनांक राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 01 नारायणराम का 1/2 हिस्सा रेकर्ड मे इन्द्राज होता आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा नारायणराम की खातेदारी का है। शेष 1/2 हिस्सा वादीगण के वालिद लच्छीया उर्फ लसीया का हक हिस्सा है। क्योंकि प्रतिवादी नरसिंगराम व चूनाराम का नाम अवैध प्रक्रिया के तहत इन्द्राज हुआ था। जबकि बापी पट्टा दिनांक 08.4.1943 से संवत 2026 से 2029 तक वादग्रस्त भूमि मे नाराण बेटा फुसाजी व लछीया पुत्र राणा का ही संयुक्त खातेदारी इन्द्राज होती आए है तथा द्वितिय भू प्रबंध के समय रेकर्ड संधारण के दौराने तत्कालीन भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार लछीया पुत्र राणा के स्थान पर नरसिंगराम व चूनाराम का रेकर्ड में नाम इन्द्राज कर दिया गया। जिसका कोई विधिक अधिकार तत्कालीन भू प्रबंध अधिकारीयों को नहीं था। **यहां यह भी उद्वित किया जाना उपेक्षित है,कि उचित** अनुतोष देना **न्यायालय का कर्तव्य–विधि की गलत–धारणा कोई बाधा नहीं–नन्दगिरी व राजस्व मण्डल,1963 R.R.D Page 250** (उ.न्या.) में **प्रतिपादित है कि–**जब वाद हेतुक गठित करने वालें तथ्य अभिलेख पर लाये गये हो,तो वाद [illegible] अनुतोष विधि के किसी उचित उपबन्ध के अधीन नहीं मांगा गया हो,तो अनुतोष दे[illegible] का कर्तव्य है। पक्षकारो द्वारा कथित और साबित तथ्यों पर जब कोई [illegible] है और यदि न्यायालयों द्वारा बिना किसी कारण के नहीं दिया [illegible] प्रकट त्रुटि है। यह अन्याय होगा यदि पक्षकारों को राजस्व मण्डल तक पहुंचने के बाद [illegible] नीचे न्यायालयों में जाकर उस मामलें को एक बार फिर से लड़ने के लिए कहां जाय,केवल इसलिए कि वादी ने विधि की गलत धारणा से प्रतिवादियो को अतिचारियों के रूप में वर्णन कर दिया। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दोनो पक्षकारों के लिए कठोरता होगी,यदि उनको एक बार फिर से एक नियमित वाद की औपचारिकताओं में होकर जाने के लिए कहां जाय।

उक्त उद्वरण से यह न्यायालय पूरी तरह से बाध्य है,कि दस्तावेजात साक्ष्य सबूतो के आधार पर वास्तविक पीडित पक्षकार को न्याय प्राप्त हो सके,ताकि पक्षकारान के मध्य विवाद के बिन्दु का निरतारण हो सकें। वादीगण की मूल मंशा यही है,कि बापी पटट्टा दिनांक 08.4.1943 से संवत 2026 से 2029 तक वादीगण के वालिद लच्छीया उर्फ लसीया का रेकर्ड में नाम यथावत चला आया है और द्वितिय भू प्रबंध के दौरान लछीया के स्थान पर प्रतिवादी नरसिंग व चूनाराम का नाम इन्द्राज कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राज को विलोपित करतें हुए बापी पटट्टा दिनांक 08.4.1943 की रेकर्ड स्थिति को बहाल किया जावें। हम पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख,दस्तावेजात इत्यादि की अनदेखी नहीं कर सकते है,क्योकि उक्त दस्तोवजात से यह भली भांति साबित है कि राजस्व अभिलेख बापी पटट्टा दिनांक 08.4.1943 से संवत 2026 से 2029 तक वादीगण के वालिद लसीया का नाम खातेदारी में इन्द्राज होता आया है और द्वितिय भू प्रबंध के समय रेकर्ड संधारण के दौराने लसीया के स्थान पर प्रतिवादी नरसिंग व चूनाराम का नाम इन्द्राज किया गया,जो कि गलत तरीके से इन्द्राज हुआ था। ऐसी सूरत में उक्त प्रविष्टि को विलोपित करते हुए वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है। क्योंकि द्वितिय सेन्टलमेंट अधिकारीयों को गत सेन्टलमेंट के अनुसार ही रेकर्ड रिपीट करना चाहिए था। जो **R.R.T..2001(1) Bishan singh V/s. Magan Singh & anr** में प्रतिपादित है–कि यह सर्वविदित विधि का सिद्वित है कि सेटलमेंन्ट के दौरान भू प्रबंध अधिकारी को पूर्व प्रविष्टियों को जैसी है,वैसी ही राजस्व रेकर्ड में अंकित करनी होगी। अगर किसी पक्ष को कोई आपति है,तो सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवा सकता है।

इसी प्रकार **2003 (1) R.R.T. Page 31 Mahendra Singh V/s. Gopal & anr** में प्रतिपादित है– राजस्थान भू राजस्व संहिता,1956 धारा–135 नामान्तकरण–निगरानी–सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा धारा 48,राज.काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते–उतराधिकार,रजिस्टर्ड दस्तावेज अथवा न्यायालय के आदेश पर वह प्रविष्टिया परिवर्तित कर सकता है–सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश बिना अधिकारिता के है तथा अपर कलक्टर ने आदेश सही अपास्त किया है–सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **2001(1) R.R.T. Page 244 (HC)Indan V/s. State of Rajasthan & anr** में प्रतिपादित है–कि सेटलमेंट–सें[illegible] के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां परिवर्तित करने का सैटलमें[illegible] अधिकार नहीं है।

2003 (2)R.R.T.1027 (Board of Revenue)State of Rajasthan V/s. Khet Singh & Ors. में प्रतिपादित है--कि बन्दोबस्त प्राधिकारीयों को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना विधमान प्रविष्टियों को बदलनें की शक्तियां नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2007(1)R.R.T. पृष्ठ 27 में प्रतिपादित है–कि बंदोबस्त विभाग ने नामान्तकरण स्वीकृत किया,यद्यपि प्रविष्टियों को बदलने का विभाग को अधिकार नहीं है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर 1–अपील डिक्री/टी.ए./2847 / 2015/ दौसा व 2–अपील डिक्री/टी.ए./2848/2015/दौसा निर्णय दिनांक 04.10.2021 में प्रतिपादित किया है–कि भू प्रबंध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। केवल पुराने रेकार्ड को दोहराने का अधिकार प्राप्त है।

2020(1) R.R.T पृष्ठ 37 में प्रतिपादित है–कि भू प्रबंध विभाग इन्द्राज परिवर्तन करने हेतु सक्षम नही है।

2018(1) R.R.T पृष्ठ 37 व 2015(2) R.R.T पृष्ठ 1214 में प्रतिपादित है–कि भू प्रबंध विभाग द्वारा कारित त्रुटि को विचारण न्यायालय ने सही किया–भू प्रबंध विभाग प्रविष्टयों को दोहराने हेतु बाध्य है

2008(1) R.R.T पृष्ठ 151 में भी प्रतिपादित किया है–कि बन्दोबस्त विभाग को विधमान अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय के न्यायिक द्रष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है,कि गत सेटलमेंट के रेकर्ड के अनुसार ही द्वितिय सेटलमेंट के अधिकारीयों को रेकॉर्ड का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के अनुसार नाराण बेटा फुसाजी व लछीया पुत्र राणा की संयुक्त खातेदारी भूमि में इन्द्राज होने के उपरांत द्वितिय भू प्रबंध के समय बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के लछीया पुत्र राणा 1/2 हिस्सा के स्थान पर नरसिंगराम व चूनाराम के नाम रेकॉर्ड इन्द्राज कर दिया गया। जिसका तत्समय द्वितिय भू प्रंबध विभाग को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्या अथवा दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा पेश नहीं किए गए। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भू प्रबंध की गलत के कारण वादीगण के वालिद लच्छीया उर्फ लछीया की खातेदारी विलोपित की गई है,जो कि वादीगण हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एंव माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतों अनुसार किसी भी खातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा कमी जा सकती है और न ही जोड़ा ही जाता है। भू प्रबंध विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है,जिसके तहत मात्र पूर्व प्रविष्टि को नये नाप को दोहराना भर होता है। ऐसी सूरत में वादीगण के वालिद लच्छीया उर्फ लछीया की वादग्रस्त भूमि में हुए रेकर्ड में फेरबदल गत सेन्टलमेंट बापी पटटा दिनांक 08.4.1943 के अनुसार ही रेकर्ड दुरुरती की जानी विधि सम्मत प्रतीत होता है।

इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में आंशिक साबित करार ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 02–आया वादीगण प्रतिवादीगण के ... करवाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे–वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर है। वादीगण तनकी संख्या 01 में यह साबित करने में सफल रहे है,कि वादग्रस्त भूमि का बापी पटटा दिनांक 08.4.1943 में इन्द्राज रेकर्ड

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अनुसार वादीगण ससहखातेदार घोषित होने के हकदार है और सहखातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती है। इस कारण तनकी संख्या 02 की राहत वादीगण प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

तनकी संख्या 3–आया प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01

इस तनकी कों सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबध में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है जिसमें ऊपर वर्णित कायम तनकी में वादीगण की ओर बूखबी साबित करते हुए वादग्रस्त भूमि मे द्वितिय भू प्रबंध के दौरान रेकर्ड संधारण के समय हुए त्रुटि में लच्छीया उर्फ लसीया के स्थान पर प्रतिवादी नरसिंगराम व चूनाराम का नाम गलत इन्द्राज हो गया था,के स्थान पर वादीगण खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राजस्व अभिलेख,बयानात एवं जिरह इत्यादि से यह साबित करने में सफल रहे है,कि बापी पटटा दिनांक 08.4.1943 की प्रविष्टि सही है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 काउन्टर क्लेम में चाही गई इस्तदुआ पाने का हकदार नहीं है। क्योंकि यह कहीं साबित नहीं हो रहा है, कि प्रतिवादी संख्या 01 का खसरा संख्या 706 रकबा 18–10 बीघा सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त हो,जो उसकी आवगी खातेदारी घोषित की जावें तथा तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया जावें। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 03 प्रतिवादी साबित करने में सफल नहीं रहा है।

11.अनुतोष:–वादीगण के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 705,706,710 कुल रकबा 35–15 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में इन्द्राज प्रविष्टि नरसिंग पुत्र राणाराम व चूनाराम पुत्र राणाराम के वारिसान की विलोपित करते हुए एवं उक्त प्रतिवादी द्वारा किए गए बेचान को शून्य एवं अप्रभावी घोषित करते हुए बापी पटटा दिनांक 08.4.1943 मुताबिक लछीया पुत्र राणा के वारिसान वादीगण को 1/2 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा नारायणराम पुत्र कुसाराम का बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा,जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 152 / 2008

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2008 / 00009

वादीगण बनाम प्रतिवादी

मृतक लच्छीया उर्फ लच्छीयो पुत्र राणाराम के कायम मुकाम :–

1.पारसमल पुत्र शंकरलाल पुत्र लच्छीराम

2.सिरेमल पुत्र शंकरलाल पुत्र लच्छीराम

3.राजू पुत्र शंकरलाल पुत्र लच्छीराम

4.सुआदेवी बेवा शंकरलाल पुत्र लच्छीराम जाति माली

निवासी वार्ड नम्बर 3 बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

मृतक नारायणराम के कायम मुकाम :–

1 / 1. मृतक धनराज पुत्र नारायणराम के कायम मुकाम :–

1 / 1 / 1. पुखराज पुत्र स्व. धनराज

1 / 1 / 2. गौतमचन्द पुत्र स्व. धनराज

1 / 1 / 3. नेमाराम पुत्र स्व. धनराज

1 / 1 / 4 पोनी देवी बेवा स्व. धनराज
निवासी वार्ड नंम्बर 3 बालोतरा

1 / 1 / 5. मीरोदेवी पुत्री स्व. धनराज
पत्नी मंगलाराम जाति माली
निवासी पुराना पादरू बस स्टेण्ड
के पास बालोतरा

1 / 1 / 6. शारदादेवी पुत्री स्व. धनराज
पत्नी माणकचंद निवासी माली
समाज भवन के पास बालोतरा

1 / 1 / 7 सरसीदेवी पुत्री स्व. धनराज
पत्नी रामाराम निवासी वार्ड
नंम्बर 3 मालियों की वास बालोतरा

1 / 2. देवाराम पुत्र नारायणराम

1 / 3. उदाराम पुत्र नारायणराम

1 / 4. मृतक हस्तीमल के कायम
मुकाम:–

1 / 4 / 1. श्रीमति लीलादेवी बेवा हस्तीमल

1 / 4 / 2. बादरमल पुत्र स्व. हस्तीमल

1 / 4 / 3. गोपाराम पुत्र स्व. हस्तीमल

1 / 4 / 4. सुरेश पुत्र स्व. हस्तीमल

1 / 4 / 5. सोहन पुत्र स्व. हस्तीमल

1 / 4 / 6. अशोक पुत्र स्व. हस्तीमल

1 / 4 / 7. श्रवण पुत्र स्व. हस्तीमल

1 / 4 / 8. दिनेश पुत्र स्व. हस्तीमल

1 / 4 / 9. स्वाती पुत्री स्व. हस्तीमल प[illegible]
जितेन्द्र[illegible]

1 / 4 / 10. मंजुदे[illegible]
पत्नी [illegible] जाति माली

1 / 5. घेवरराम पुत्र नारायणराम

1 / 6. ओमाराम पुत्र नारायणराम

1 / 7. कमलादेवी बेवा नारायणराम

2.मृतक नरसिंगराम पुत्र राणाराम के
कायम मुकाम:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2/1. माणकचंद पुत्र स्व. नरसिंगराम

2/2. भगाराम पुत्र स्व. नरसिंगराम

2/3. मेवाराम पुत्र स्व. नरसिंगराम

2/4. लुणीदेवी पुत्री स्व. नरसिंगराम के

कायम मुकाम:–

2/4 (1).पुरखाराम पुत्र केसाजी माली

निवासी बालोतरा(मृतका के पति)

2/4 (2).पारस पुत्र पुरखाराम जाति माली

नि.बालोतरा (मृतका का पुत्र)

2/4 (3).महेन्द्र पुत्र पुरखाराम नि.बालोतरा

(मृतका का पुत्र)

2/4(4).अशोक पुत्र पुरखाराम नि.बालोतरा

(मृतका का पुत्र)

2/4(5).लीला पुत्री पुरखाराम,नि. बालोतरा

(मृतका की पुत्र)

2/5. ससीदेवी पुत्री स्व. नरसिंगराम

पत्नी प्रेमजी जाति माली

3.मृतक सोनाराम उर्फ चुनाराम पुत्र

राणाराम के कायम मुकाम :–

3/1. मोहनलाल पुत्र स्व. चुनाराम

3/2.केवलचंद पुत्र स्व. चुनाराम

3/3. छगनलाल पुत्र स्व. चुनाराम

3/4.ओमप्रकाश पुत्र स्व. चुनाराम

3/5. हीरादेवी बेवा चुनाराम

3/6. मांगी पुत्री चुनाराम जाति माली

4.रूकमणीदेवी पत्नी प्रतापजी जाति प्रजापत

5.अंजुदेवी पत्नी अशोक कुमार जाति अग्रवाल

कार्यालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

6 [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible]
निवासी वार्ड नंबर 4 बालोतरा तहसील पचपदरा व
जिला बालोतरा
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद धारा 88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 182/2008
निर्णय दिनांक **13.10.2023**

वादीगण की ओर से श्री [illegible] अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से श्री [illegible] कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 व प्रतिवादी संख्या 05,06 की ओर से श्री [illegible] अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से श्री [illegible] की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान व प्रतिवादी संख्या 07 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 13.10.2023 को श्री राजेशकुमार (राज. प्रशासनिक अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि** वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 705,706,710 कुल रकबा 35.15 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में इन्द्राज प्रतिवादि नरसिंग पुत्र रामाराम व फूसाराम पुत्र रामाराम के वारिसान को विलोपित करते हुए एवं उक्त प्रतिवादी द्वारा किए गए बेचान को शून्य एवं अप्रभावी घोषित करते हुए बाबी पट्टा दिनांक 08.4.1943 मुताबिक [illegible] पुत्र रामा के वारिसान वादीगण को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा नारायणराम पुत्र फूसाराम का बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 13.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(राजेशकुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2 अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3 प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		4 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5 आदेशिका की तामील	—
6 कमिश्नर की फीस	—	6 कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड	—	जोड	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा